मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31 /12/2019

क्र. एफ 16-43/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स रिलायंस एम्युनिशन लिमिटेड द्वारा पडोरा, शिवपुरी में रु. 400.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से एम्युनिशन विनिर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे -

(i) भूमि आवंटन - परियोजना को पडोरा जिला शिवपुरी में एमपीआईडीसी के आधिपत्य की भूमि में से 70 एकड़ भूमि प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आवंटित की जावे। कंपनी की मांग अनुसार 630 एकड़ भूमि परियोजना अन्तर्गत बफर जोन हेतु 02 वर्षों के लिए इस शर्त पर आरक्षित की जावे, कि कंपनी भूमि आवंटन दिनांक से 02 वर्षों के अन्दर प्रतिबद्ध निवेश के साथ परियोजना स्थापित कर लेवे। परियोजना क्रियान्वयन न करने की दशा में भूमि आवंटन एवं आरक्षित भूमि स्वत: निरस्त हो जावेगी। परियोजना क्रियान्वयन की दशा में बफर जोन हेतु आरक्षित 630 एकड़ भूमि तत्समय प्रचलित नियम अन्तर्गत आवंटित की जावे।

(ii) उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2019) के प्रावधान अनुसार सुविधाओं की पात्रता शर्तों के अध्याधीन होगी।

(iii) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-43/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
4. कलेक्टर, जिला शिवपुरी।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, Reliance Ammunition Limited, Radisson Blu Plaza, Commercial Tower 'A' Wing, Ground Floor, NH #8, Mahipalpur, New Delhi – 110037.

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग